ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 75-76
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

भारतीय समाज में महिलाओ की स्थिति

डॉ0 अखिलेश कुमार सरोज
असि0प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिढुई, प्रतापगढ़ (उ0प्र0), भारत

Received-11.04.2023, Revised-15.04.2023, Accepted-21.04.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

***सारांशः** "प्राचीन काल में महिलाओ की प्रस्थिति पुरूषो के समान थी किन्तु मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्पन्त दयनीय हो गयी। परिवार का सम्पूर्ण ढाँचा पुरूषों के वर्चस्व पर आधारित हो गया स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओ को पुरूषो के बराबर अधिकार दिये गये। आज महिलाऐ आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और स्वालम्बी है। अब वह पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर रही हैं फिर भी को अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए वो अधिकार नही मिल पा रहा है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य वर्तमान समाज में भारतीय महिलाओ की प्रस्थिति को जानना साथ ही साथ वे कहाँ तक सशक्त हुई हैं को स्पष्ट करना है।"*

कुंजीभूत शब्द– सशक्तीकरण, महिला उत्पीड़न, पवित्रता, सामाजिक न्याय, विधवा पुर्नविवाह, आर्थिक गतिविधियों, वर्चस्व, अधिकार।

प्राचीन काल में महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। हमारे देश में गार्गी, मैत्रेयी तथा अत्री आदि ऐसी अनेकों नारियाँ हुई है, जिनकों सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। परन्तु मध्यकाल में नारी की प्रस्थिति अत्यन्त दयनीय थी। वह घर की चहारदीवारी में कैद थी। परिवार का सम्पूर्ण ढाँचा पुरूष के बर्चस्व और महिलाओ की निर्धनता पर आधारित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक, इण्टरनेशनल ईयर आफ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया जो कि इस बात का द्योतक है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी भारतीय संविधान द्वारा दिये गये 'समानता के अधिकार से महिलाए वंचित हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारो के अनेक रूप है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, परिवार में लड़कियो की शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा, बाल विवाह, बलात्कार आदि। समाज में आज भी महिलाओ की सामाजिक प्रस्थिति अच्छी नहीं है और पुरूष वर्ग इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है। भारतीय समाज में जितनी परंपराए रीति–रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान पाए जाते है, वे सब पुरूषों द्वारा निर्मित हैं,।

"भारतीय समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति क्रूरता, अन्याय, अभद्रता, विषमता और उनके जन्म–जन्मान्तर के शोषण होने के पीछे मनु द्वारा बनाये गये नियमों और समाज के सुपरमैन ब्राह्मण द्वारा उनका अनुमोदन करने तथा उसके प्रचलन को स्थायी रूप प्रदान किया जाना ही मूल दोष मानते थे।"[1]

"नारी अनेक सामाजिक स्तरों ऐतिहासिक युगों और राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरी है। सेवा उसका भाव रहा है, त्याग उसका सम्बल, आग और पानी उसने समान रूप से लाँघा है।"[2]

वैदिक काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा देने की प्रथा थी। इस सम्बन्ध में पी0 एन0 प्रभु का कथन इसकी पुष्टि करता है कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री पुरूष में कोई विभेद न था और दोनों की प्रस्थितियां लगभग समान थी। वैदिक युग में महिलाओ की गतिशीलता पर कोई रोक नही थी और न ही मेल–मिलाप और शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध न था। उस समय बहु पत्नी–विवाह का प्रचलन अवश्य प्रचलित था, किन्तु महिलाओं को आदर से रखा जाता था। विधवाओं के पुर्नविवाह के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिबन्ध न था।

उत्तर वैदिक काल में शिक्षित कन्या की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इस युग में जो भी स्त्री पुरूष शिक्षित होते थे, वे ही विवाह–योग्य समझे जाते थे। स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य के समय तक शिक्षा ग्रहण करती थी तथा अपने को विदुषी बनाती थी। ऐसी स्त्रियाँ थी जो जीवनपर्यन्त विद्याध्ययन में लगी रहती थीं और ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। इस युग में वैदिक कर्मकाण्ड की जटिलता बढ़ती गयी और शुद्धता तथा पवित्रवा के नाम पर आडम्बर भी बढ़ता गया। इससे स्त्रियों का जीवन कठिन और रूढ़ियों से ग्रस्त हुआ।

मध्य काल में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी। भारत में मुसलमानों के आक्रमाण के कारण उनकी दशा निरन्तर ह्रास की ओर अग्रसर होती गयी। समाज में नारी जीवनपर्यन्त पुरूष वर्ग के अधीन और आश्रित रहने के विवश रही।
हिन्दू धर्म ग्रन्थों में यह व्यवस्था है कि पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसा न करने पर उसे राज्य द्वारा दण्ड का भागी होना पड़ेगा धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार महिलाएं सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में पुरूषों से हीन समझी जाती थी। यह युग महिलाओं के लिए काला युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योकि इस काल में ही महिलायों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी।

11वी शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति काफी दयनीय हो गयी। इस अवधि में विधवा पुर्नविवाह निषेध, पर्दा–प्रथा अशिक्षा एवं बाल–विवाह तथा संती–प्रथा आदि अनेक समाजिक बुराईयों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को काफी निम्न बना दिया। किन्तु 19वीं सदी एवं 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में कुछ समाज–सुधारकों जैसे श्री राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रानाडे, महर्षि कर्वे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीमती एनीवेसेन्ट डॉ. भीम राव अम्बेडकर तथा महात्मा गाँधी आदि द्वारा भरतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न किए गए।

स्वसंत्रता आन्दोलन के माध्यम से भी महिलाओं को सामाजिक बन्धन तोड़नें का अवसर मिला। राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान पर

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

अनेक स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी लांघकर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़ी। आज सामाजिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। प्रजातांत्रिक मूल्यों और व्यक्ति स्वतंत्रता के विचारों का बोल बाला होने के परिणाण स्वरूप सैद्धान्तिक आधार पर भारतीय महिलाओं को समाजिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त हुई।

प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं को घर परिवार के अन्दर ही अधिक सम्मानित दर्जा प्राप्त हो रहा है, किन्तु आज उन्होनें जीवन के हर क्षेत्र में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बना लिया है। हमारे यहाँ महिलाएँ प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विदूषियाँ लेखिकाएँ और शिक्षाविद, उच्चतर सिविल सेवाओं में सफल और सिनेमा, संगीत तथा अन्य क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त करने वाली हुई है। "गगर अब समय है कि औरते स्वयं अपने लिए कानून बनाएँ और उसका प्रयोग करें क्योकि आज वे जीवन के हर कार्य क्षेत्र में मौजूद हैं। उनका कर्तव्य केवल मर्दों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने वर्ग को भी दिशाबोध देना है। यह कानूनी समय रिश्ते की नींव हिलाती है तो हिलने दें, बनावटी, जिन्दगी से कहीं बेहतर है कि हिलते रिश्तों की नींव मजबूत बनायी जाए।[3]

आजादी के 76 वर्षो के इतिहास में प्रस्थितियाँ बहुत बदल गयी है। घर की है' एवं असमानता और भेद–भाव की लड़ाई में पुरूषों के साथ लड़ाई में लम्बी दूरी तय की है। आजादी के बाद तो इस संख्या में दिनों दिन बढोंत्तरी देखने को मिली है। सफलता का आलम यह है कि पुरूषों के वर्चस्व को कड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा उन क्षेत्रों में भी मनवाया हैं। संसद, ब्यूटी, विजनेस से लेकर अंतरिक्ष तक आज उनकी सफलता की पदचाप की गूंज सुनाई देती है। जैसे इन्दिरा गाँधी, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, विजल लक्ष्मी पंडित, बछेन्द्रीपाल, सुचेता .पलानी, कर्णम मल्लेश्वरी, रीता फारिया, किरणवेदी, मैडम भीखाजी रूस्तम जी कामा, एनी बेसेन्ट, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गाँधी, शीला दीक्षित, और मायावती आदि। अपने लक्ष्य की प्राप्ति और समाज में अपनी अस्मिता अस्तित्व की रक्षा के लिए आज महिलाएँ संघर्षरत हैं। उनका यह संघर्ष अपने आत्म सम्मान का हो व आर्थिक आत्मनिर्भरता का सामाजिक न्याय का हो या फिर सत्ता में भागीदारी का महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी की गुलामी और अन्याय को अब सहन नहीं करेगीं। इसी का परिणाम यह है कि आजादी के इतने वर्षो बाद आज भी ग्रामीण और समाज के निचले तपके की महिलाएँ खुलकर अपने हक की न सिर्फ मांग कर रही हैं बल्कि उसके लिए हर चुनौती का सामना कर रही हैं।

उपर्युक्त विवेचनो से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जहाँ निम्न है, वहीं ग्रामीण समाज में महिलाओं की दशा। और भी दयनीय है उनमें अशिक्षा, अभाव, रूढ़वादिता तथा परस्पर निर्भरता व्यापक पैमाने पर पायी जाती हैं परन्तु उल्लेखनीय है कि वर्तमान काल में महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर से प्रयन्त किये जा रहे हैं। उनमें अपने हितों के लिए जागरूकता तथा सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के विकास के लिए भी सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। यह महिला सशक्तीकरण का दौर है जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार होगा और समाज में उनकी मानवीय एवं सम्मानजनक स्थिति के निर्माण में सहायता मिलेगी। महिलाओं को सशक्त बनाए बगैर हम मानवता को मजबूत नही बना सकते। महिलाएं संवेदना, करूणा, वात्सल्य ममत्व, प्यार, स्नेह, सहनशीलता, विनम्रता आदि महिलाओं के वे गुण हैं जिनसे वह मानवता को निखार और संवार कर उसे सम्पूर्ण एवं सशक्त बना सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 अम्बेडकर भीमराव (1950) "हिन्दू नारी का उत्थान और पतन", सम्यक प्रकाशन, पृष्ठ–12.
2. उपाध्याय, भगवत शरण (1950) "भारतीय समाज का ऐतिहारिक विश्लेषण" भारत प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ–196.
3. शर्मा, नासिरा,(2007) "औरत के लिए औरत" समयिक प्रकाशन, पृष्ठ–81.

*****